कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawasko@gmail.com

पत्रांक : 6009/ADM-E/21

दिनांक : 7-5-2021

आदेश

कोविड-19 से संकमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालको/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतएव उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 संकमित रोगियों इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किरायें की दरें जनपद लखनऊ अंतर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आमजनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।

2- अतएव मैं अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ 'द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संकमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद लखनऊ में एम्बुलेंस के किराये की दरें निम्नवत् निर्धारित करता हूँ-

श्रेणीवार एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण।		
आक्सीजनरहित एम्बुलेंस	**आक्सीजनयुक्त** एम्बुलेंस	वेन्टीलेटर सपोर्टेड/ **बाई पैप एम्बुलेंस**
रू0 1000/- 10 किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रू0 100/- प्रति किमी0 की दर से।	रू0 1500/- दस किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रू0 100/- प्रति किमी0 की दर से।	रू0 2500/- 10 किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रू0 200/- प्रति किमी0 की दर से।
उक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा।		

3. कोविड-19 संकमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व ट्रैफिक हेल्प लाईन नम्बर 9454405155 पर दर्ज करा सकते हैं।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्रीमती ख्याती गर्ग, पुलिस उपायुक्त (यातायात) मोबाईल नम्बर 9454400517 तथा श्रीमती विदिशा सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) लखनऊ मोबाईल नम्बर 7705824519 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099 ई-मेल :dmawasko@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक :

हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। ऐसे वाहनचालक/स्वामी, जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेंसचालक के विरूद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेगें।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
लखनऊ।